

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-प-11(01)प्रशि./पॉलिसी/2024/6667

दिनांक:- 19-11-2024

स्थायी आदेश संख्या :- 13 / 2024

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3) के तहत उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु स्थायी आदेश संख्या 11/2021 के द्वारा 45 दिवस का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

वर्तमान में विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थायी आदेश के अधिक्रमण में उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाले समस्त बैचों के लिए प्रशिक्षण अवधि 30 दिवस करते हुए पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

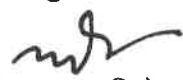
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संगलन:-उपरोक्तानुसार


(यू० आर० साहू)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/एससीआरबी, साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं (दूरसंचार एवं तकनीकी)/इन्टेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
7. कमाण्डेंट, आरपीटीसी, जोधपुर/किशनगढ़।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/खैरवाड़ा/झालावाड़/बीकानेर/अलवर/भरतपुर/सिलोरा/पीएमडीएस बीकानेर।
9. कमाण्डेन्ट पुलिस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1	कुल अवधि	30 दिन
2	राजपत्रित अवकाश (रविवार एवं द्वितीय शनिवार)	04 दिन
3	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षा	01 दिन
4	इण्डोर परीक्षा	02 दिन
5	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिन	23 दिन
6	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए कालांश (प्रतिदिन 04 एवं शनिवार को 02 कालांश) (20X04 + 03X02) (प्रति कालांश 75 मिनिट)	86 कालांश
7	बहिरंग प्रशिक्षण लिए कालांश 23X03	69 कालांश
8	खेल कालांश 23X01	23 कालांश

नोट :- प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 दिवस का होगा। इस अवधि में राजपत्रित अवकाश अथवा कानून व्यवस्था ड्यूटी आने पर तदनुसार उतने दिन तक की प्रशिक्षण समयावधि बढ़ाई जाएगी।

इण्डोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम	वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान	26	100
द्वितीय	विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही	20	100
तृतीय	पुलिस थाना/पुलिस लाईन/विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं सामयिक विषय	20	100
चतुर्थ	कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली	20	100
	कुल	86	400

आउटडोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम	शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण	23	100
द्वितीय	ड्रिल, टेक्टिस ऑपरेशन एवं भीड़ नियंत्रण	23	100
तृतीय	शस्त्र प्रशिक्षण, एवं मस्केट्री	23	100
	कुल	69	300

आन्तरिक मूल्यांकन (50 अंक)

क्र.सं.	विषय एवं संदर्भ
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि
2	अनुशासन

इण्डोर प्रथम प्रश्न पत्र

वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक 100

कालांश 26

मॉड्यूल एक – वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी –

12 कालांश

अ – भारतीय न्याय संहिता, 2023

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	धारा 2 (महत्वपूर्ण परिभाषाएं), 3, 13, 14 से 44, 61(1), 61(2), 196, 197, 199, 200	1
2	धारा 298 से 302, 100 से 110, 114 से 118, 121, 132	2
3	धारा 74 से 78, 133 से 140, 87, 96 ,141 से 142, 97, 143 से 145 98, 99 146, 63 से 71 303, से 313, 319(2), 318(4), 331(8), 334 से 340, 85 से 86	2

ब – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	धारा 35 से 62	2
2	103 से 106, 125 से 143, 148 से 171	1
3	धारा 478 से 483, 491, 492,, 497 से 505, 513 से 519, 528	1

स – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	परिभाषाए, धारा 2, 21 से 23, 26, 39 41	1
2	62, 63 104 से 107, 117, 118, 120, 124 से 139, 162, 163	1
3	पुराने एवं नवीन आपराधिक कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन	1

मॉड्यूल-दो-अनुसंधान :- सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक

कालांश- 14

अ – अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश-02

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 173 से 186, 112,113,187 से 196, 335, 84, 85

ब – व्यावहारिक कार्य

कालांश-02

अनुसंधान का व्यावहारिक कार्य – प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, केस डायरी, सफीना, रिमाण्ड, अंतिम रिपोर्ट।

स – विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. हत्या एवं मानव वध के प्रकरणों का अनुसंधान

कालांश-02

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 100 से 106, 80 की जानकारी।
- साक्ष्य संकलन की कार्यवाही।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।

2. बलात्कार से संबंधित प्रकरणों का अनुसंधान

कालांश-02

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 64 351(2), 351(3) से, 79
- पीडिता के बयान लेखबद्ध करना, चिकित्सकीय परीक्षण करवाना, 183 बीएनएसएस के कथन लेखबद्ध करवाना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- मारपीट एवं बलवा प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

3. साम्प्रदायिक तनाव से संबंधित प्रकरणों का अनुसंधान

कालांश -02

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा- 196 197, 299
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- साम्प्रदायिक तनाव से संबंधित प्रकरण में साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- डिजीटल साक्ष्यों पर अनुसंधान।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रीन नोट बनाना।

4. सम्पत्ति संबंधी प्रकरणों का अनुसंधान

कालांश-01

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 से 317
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23, फर्द इत्तला, फर्द बरामदी तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।
- चोरी/नकबजनी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रीन नोट बनाना।

5. कूटरचना से संबंधित प्रकरणों का अनुसंधान

कालांश-02

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा 318 एवं 464, 335 से 340
- विवादग्रस्त एवं विवाद रहित दस्तावेज प्राप्त करना।
- नमूना लेख प्राप्त करना एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाना।
- भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर विश्लेषण करना।
- कूटरचित दस्तावेजों का अनुसंधान एवं राजस्व अधिकारियों से समन्वय।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रीन नोट बनाना।

6. संगठित अपराधों का अनुसंधान

कालांश-01

- आसूचना संग्रहण एवं रिकॉर्ड को एकत्रित करना।
- सेलफोन ट्रेकिंग एवं कॉल डिटेल का विश्लेषण।
- वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से अनुसंधान एवं अन्य ऐजेन्सियों से समन्वय।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जाए।

इण्डोर द्वितीय प्रश्न पत्र

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांक:-100

कालांश-20

मॉड्यूल – एक – विविध अधिनियम

कालांश-12

1. पोक्सो एक्ट, 2012

कालांश-02

- पोक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी।
- अनुसंधान के क्रम में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी।
- साक्ष्य चार्ट तैयार करना।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

2. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

कालांश – 02

- डिजीटल साक्ष्य की जानकारी।
- साक्ष्यों का संकलन एवं जब्ती की कार्यवाही।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

3. एनडीपीएस एक्ट, 1985

कालांश – 02

- आज्ञापरक प्रावधानों की जानकारी – धारा 42(2), 50, 52, 55, 57
- समपत्ति समपहरण की कार्यवाही की जानकारी – अध्याय 5 क
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

4. शस्त्र अधिनियम

कालांश – 01

- शस्त्र अधिनियम, 1959 धारा 3, 4, 25, 27, 30, 39 (नवीनतम संशोधन)
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

5. राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 2006 कालांश – 01

- अधिनियम के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- इस्तगासा बनाना।

6. अन्य अधिनियमों की जानकारी कालांश— 04

- लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम, 1984
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मय नवीनतम संशोधन।
- राजस्थान जुआ अध्यादेश, 1949
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 मय नवीनतम संशोधन।
- किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- आबकारी अधिनियम, 1950
- राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम, 1995
- गर्भधारण पूर्व और प्रसूती पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट)
- पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (संशोधित 1993)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

मॉड्यूल – दो – निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश – 08

अ – परिशान्ति व सदाचार बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश – 04

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा से 129, 135, 141, 170
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 126 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 127 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 128 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 129 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 141 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 170 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।

ब – लोक व्यवस्था बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश – 04

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 148 से 151, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 163, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर 208 भारतीय न्याय संहिता में कार्यवाही
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 152, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 164 व 165, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
5. गुण्डा एक्ट एवं एच ओ एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं कार्यवाही।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जानकारी एवं कार्यवाही।
7. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 194 एवं 196 के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थायी आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जाए।

इण्डोर तृतीय प्रश्न पत्र

पुलिस थाना/पुलिस लाईन/विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं सामयिक विषय

पूर्णांक :- 100

कालांश - 20

मॉड्यूल - एक - थाना प्रबन्धन एवं संचालन

कालांश - 12

अ-विधिक प्रावधान

कालांश - 04

- राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.64 में प्रदत्त मुख्य आरक्षी की शक्तियां, ड्यूटी, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र आदि।
- राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 धारा 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 59, 60
- राजस्थान पुलिस नियम, 2008- सामान्य जानकारी।
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम, 2012- परिचय, सामान्य जानकारी।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम, 1958 नियम 14, 15, 16, 17, 19

ब-दैनिक कार्यवाही

कालांश - 03

- रोजनामचा लेखन, ड्यूटी लगाना, रोलकॉल की उपयोगिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क।
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर स्कीम, सी0एल0जी।
- सर्विस, पासपोर्ट, हथियार लाईसेन्स सत्यापन।
- गश्त, नाकाबन्दी, पुलिस रेसपोन्स टाईम, यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)।
- बीट प्रणाली- सम्पूर्ण बीट वर्क मोड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबीर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ौसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी. ओ., सी.एल.जी. सदस्यों से समन्वय।

स – थानाधिकारी/ड्यूटी ऑफिसर की भूमिका

कालांश – 02

- थाने पर प्राप्त होने वाली सूचना पर कार्यवाही।
- रेस्पॉन्स टाईम।
- थाने पर उपलब्ध बल का समुचित नियोजन।
- थाने पर रिकॉर्ड का संधारण।
- अनुसंधान का पर्यवेक्षण।
- विभिन्न कार्यों में थानाधिकारी की भूमिका।
- गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में संपूर्ण विधिक प्रावधान
- महिलाओं/बालकों के संबंध में संपूर्ण विधिक प्रावधान

द – कार्यालयों में पुलिस निरीक्षक की भूमिका

कालांश – 02

- पुलिस लाईन में रिजर्व पुलिस निरीक्षक के कार्य।
- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शाखाएं एवं कार्य की जानकारी।
- कानून व्यवस्था, भीड़ नियन्त्रण एवं प्रबन्धन।

य – पुलिस आयुक्त प्रणाली

कालांश – 01

मॉड्यूल – दो – सामयिक विषय

कालांश – 08

अ – सामयिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास –

कालांश – 02

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	पुलिस जनता संबंध एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय, राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस का ध्येय, नैतिक व्यवहार, पुलिसिंग के मूलभूत सिद्धान्त	1
2.	नेतृत्व, अभिप्रेरण एवं संप्रेषण कौशल, तनाव प्रबन्धन एवं समय प्रबन्धन	1

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां	1
2.	वी.आई.पी. सुरक्षा, बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक एवं सुरक्षा उपकरणों की जानकारी	1
3.	किसान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता संबंधी सामान्य जानकारी	1

क्र०सं०	विषयवस्तु	कालांश
1.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों की जानकारी, अपराध अनुसंधान में उपयोगिता, डी.एन.ए., ब्रेन मैपिंग, नारकोटेस्ट की सामान्य जानकारी, पद चिन्ह, अंगुल चिन्ह उठाना, प्रलेख परीक्षण	1
2.	चोटों के प्रकार, शव परीक्षण, मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट	1
3.	घटनास्थल प्रबन्धन	1

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थायी आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जाए।

इण्डोर चतुर्थ प्रश्न पत्र

कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 20

Module A :- Basic Knowledge of Computer

कालांश :- 08

1. Basic Idea of Digital devices

- Introduction to various types of Computers, Scanners, Printers & peripherals, Mobile Phones, Storage devices , CCTV surveillance and other digital equipment used in Information Technology and communications.
- Networking Basics, Concept of LAN and WAN

2. Basic idea of popular operating systems:

- Windows
- Linux (Ubuntu, Centos, RedHat etc.)
- Apple Macintosh (macOS)
- Mobile OS:-Basic Idea of Android, Windows Phone , Apple iOS etc.
- Popular Web Browsing Software and their configuration

3. Common Terms in Computer and Network security

- Virus Threats
- Spyware Threats
- Hackers
- Phishing Threats
- BOTs
- Denial of service
- DDOS attack

Module B :- CCTNS and Various applications

कालांश :- 12

4. CCTNS - Crime and Criminal Tracking Network & Systems

Knowledge of Integrated Investigation Forms (IIF), Rojnamcha Aam (General Diary), Case Diary and Crime Digest in CCTNS.

- IIF1 First Information Report
- IIF2 Crime Detail Form (Naksha Mauka etc.)
- IIF3 Arrest/ Surrender Form
- IIF4 Property Search and Seizure Form
- IIF5 Final Report Form (FR/Chargesheet)
- IIF6 Court Disposal Form
- IIF7 Appeal Form

ICJS: Interoperable Criminal Justice System

5. Various applications used in Rajasthan police :

- Citizen Services
- RAJASTHAN POLICE WEB PORTAL
- CHILD TRACKING WEBPORTAL
- ADVANCED ANALYTICS
- RAJKAJ
- LITES
- Pay manager
- Dreams
- SSO Portal
- Sampark Portal
- NAFIS

6. Mobile App used in Rajasthan Police:

- RAJCOP including Communication Platform e-mail (Rajmail), Instant Messenger (sandesh wahak), Digital Radio (Police Radio)
- RAJCOP CITIZEN
- ERSS-112
- SENIOR CITIZEN
- RajLMS
- Advance Analytics

7. Wireless and Mobile Communication:

- VHF and UHF communication used in Rajasthan Police
- Basic concept of Radio Trunking System
- Basic concept of Digital Mobile Radios(DMR) Tear II, Tear III etc
- Introduction to cellular mobile communication, concept of MSC and BTS
- Generations of cellular network i.e. 2G, 3G ,4G, and 5G Technology

8. Role as First responder & handling digital devices

उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
	कुल	300	69		
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	23		
	क – पी.टी. (निर्देशात्मक योग्यता पर ज्यादा बल)	—	—	50	08
	ख – योगासन, प्राणायाम	—	—	20	06
	ग— यू.ए.सी	—	—	20	05
	ग –रोड़वॉक एण्ड रन पुरुष (02 किलोमीटर) महिला (01 किलोमीटर) 12 मिनट तक 10 अंक 10 मिनट तक 10 अंक 13 मिनट तक 08 अंक 11 मिनट तक 08 अंक 14 मिनट तक 06 अंक 12 मिनट तक 06 अंक	—	—	10	04
2	ड्रिल, टेक्टिस ऑपरेशन एवं भीड़ नियंत्रण	100	23		
	क – ड्रिल एवं टेक्टिस ऑपरेशन	50	16	—	—
	क –टर्न आउट	—	—	05	—
	ख – खाली हाथ ड्रिल	—	—	15	06
	ग – शस्त्र सहित ड्रिल, गार्ड ड्यूटी,	—	—	15	06
	घ – पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, अम्बूश, कोम्बिंग, घेराबंदी, सर्च, कॉर्डन एण्ड सर्च	—	—	15	04
	ख – पुलिस ट्रेनिंग व भीड़ नियंत्रण	50	07	—	—
	क – लाठी ड्रिल	—	—	09	02
	ख –यातायात नियंत्रण	—	—	06	02
	ग –निर्देशात्मक योग्यता	—	—	10	—
	घ –बलवा परेड़	—	—	10	01
	ड— भीड़ नियंत्रण एवं भीड़ प्रबंधन	—	—	10	01
	च—रेस्क्यू, साल्वेज एवं प्राथमिक चिकित्सा	—	—	05	01

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
3	शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री,	100	23	—	—
	A पुलिस शस्त्रों का ज्ञान	25	14	—	—
	1 समस्त प्रकार की राईफलों का ज्ञान	—	—	08	06
	2 9 एम.एम पिस्टल, ग्लोक पिस्टल	—	—	04	02
	3 एल.एम.जी व एस.एल.आर/इन्सास	—	—	04	02
	4 9 एम.एम कार्बाइन	—	—	04	02
	5 गैस गन एवं गैस म्यूनेशन व वज्र वाहन	—	—	03	01
	6 विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम लॉस्ट की क्रिया विधि /विस्फोटक डिवाइस/विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।			02	01
	B मस्केट्री व फायरिंग	75	09	—	—
	1 7.62 एम.एम एस.एल.आर	—	—	35	04
	I ग्रुपिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	—	—	15	—
	II एप्लीकेशन 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	—	—	10	—
	III स्नेप शूटिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	—	—	10	—
	2 9 एम.एम पिस्टल	—	—	20	03
	I एप्लीकेशन 10 गज 5 राउण्ड बैटल क्राउच पोजीशन टारगेट फिगर— 11	—	—	10	—
	II एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर— 11				
	9 एम.एम कार्बाइन			20	02
	I एप्लीकेशन 10 गज 5 राउण्ड बैटल क्राउच पोजीशन टारगेट फिगर—11	—	—	10	
	II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर—11	—	—	10	—

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

1. 9 एमएम पिस्टल/रिवाल्वर प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मोड्यूल का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा यथा माड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं० दो एवं तत्पश्चात् क्रम वार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंको के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षाएँ मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंक तालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. अन्तिम परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा। बोर्ड अध्यक्ष पदोन्नति परीक्षा के लिए आयोजित चयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहीं होगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

- | | |
|---|------------|
| 1. महानिरीक्षक पुलिस | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3- <u>कमाण्डेण्ट/अतिरिक्त</u> पुलिस अधीक्षक | सदस्य सचिव |